चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के विरोध में जन–चेतना यात्रा
17 से 20 जुलाई, 2014 तक

न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना से प्रभावित गांव के निवासियों की ओर से परियोजना के विरोध मेंजन–चेतना यात्रा 17 से 20 जुलाई, 2014 तक आयोजित है। सभी ग्रामवासियों से इसमें शामिल होने की अपील है, जिसमें 17 फरवरी, 2014 की जन–सुनवाई के बाद की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी, संगठन की वर्तमान स्थिति तथा आगामी रणनीति पर विचार किया जायेगा।

परियोजना के संबंध में प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं –

1) परियोजना की डी.पी.आर. अभी तक नहीं बनी है। इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चलायी जा रही है, जो असंवैधानिक है।

2) पुनर्वास नीति मेंयह प्रावधान है कि प्रभावित होने वाले व्यक्ति को परियोजना निर्माण के पूर्व पुनर्वास स्थल बताया जायेगा। उनकी सन्तुष्टी व सहमति के पश्चात ही परियोजना कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा। परन्तु प्रभावितों को अभी तक परियोजना प्रबंधन द्वारा पुनर्वास स्थल नहीं बताया गया है। इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे बढ़ाना अन्यायपूर्ण है।

3) परियोजना से प्रभावित होने वाले मण्डला जिले के सभी गांव संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत हैं। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम–1996 (पेसा कानून) में विस्थापन के पूर्व ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। चुटका, कुण्डा और टाटीघाट की ग्रामसभाओं ने सर्वसम्मति से इस परियोजना का विरोध कर लिखित आपत्ति लगाई है अत: यह जन सुनवाई संवैधानिक प्रावधानों और पेसा कानून का उल्लंघन करके आयोजित की जा रही है।

4) परमाणु संयंत्र में लगभग 7 करोड़ 25 लाख 76 हजार घनमीटर पानी प्रतिवर्ष नर्मदा की जलधारा से लिया जावेगा जो नदी में वापस नहीं होगा। इससे नर्मदा नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलाभाव से प्रभावित होंगे। मानव जीवन के लिए बिजली से अधिक उपयोगी पानी है। नर्मदा नदी में पानी के घट जाने से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होगा, अत: परियोजना जनहित विरोधी है।

5) संयंत्र को ठण्डा करके जो पानी वापस बरगी जलाशय में छोड़ा जावेगा वह रेडियोधर्मी विकिरण युक्त होगा। रेडियोधर्मी पानी से जलाशय की मछलियां और वनस्पति प्रदूषित होंगे। उन्हें खाने वाले लोगों को कैंसर, विकलांगता और अन्य बीमारियों का खतरा रहेगा। विकिरण से प्रदूषित नर्मदा जल पीने और नदी की मछलियों को खाने वालों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी।

6) परियोजना स्थल के बहुत दूर तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगने से हजारों मछुआरों की आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। अत: यह परियोजना असंख्य लोगों के लिए संविधान के अनुच्छेद–21 में प्रदत्त इज्जत से जीने के अधिकार का उल्लंघन करेगी।

7) प्रभावित गांववासियों ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को रावतभाटा एवं अन्य परमाणु संयंत्र का भ्रमण करने के लिए भेजा था, जिससे पता चला कि संयंत्र के आसपास 12 किलोमीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। परियोजना से 35 कि. मी. तक की परिधि में कैंसर, विकलांगता, नपुंसकता एवं पशुओं में गंभीर बीमारियां पाई गई। इस अनुभव के बाद चुटका परमाणु संयंत्र से होने वाली क्षति को रोकने परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए।

8) संयंत्र से निकलने वाली रेडियोधर्मी वाष्प का आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव होगा। बरसात के साथ वह खेतों में गिरेगा। वहां उगने वाली फसल और चारा रेडियोधर्मी हो जावेंगे। उसे खाने वाले मनुष्य और पशु बीमार होंगे। इस प्रकार परियोजना लोकस्वास्थ्य और पर्यावरण विरोधी होने के कारण रद्द किये जाने योग्य है।

9) परमाणु वैज्ञानिकों, समाचार–पत्र पत्रिकाओं एवं अध्ययनों से पता चला है कि परमाणु संयंत्र से निकलने वाला रेडियोधर्मी कचड़े का निस्तारण करने की सुरक्षित विधि विज्ञान के पास नहीं है। ऐसी दशा में 2.4 लाख वर्ष तक वह रेडियोधर्मी कचड़ जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता रहेगा, अत: इस दृष्टि से परियोजना रद्द की जानी चाहिए।

10) सामान्य अनुभव है कि विद्युत परियोजनाओं के कारण आसपास के जंगल और जैव–विविधता नष्ट हो जाते हैं। चुटका के आसपास घने जंगल हैं जो नष्ट हो जावेंगे और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी असंभव है, अत: परियोजना रद्द की जानी चाहिए।

11) आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.), भोपाल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के भूकम्प संवेदी क्षेत्रों की सूची दी गई है। तद्नुसार मण्डला जिले की ठिकरिया बस्ती के आसपास का क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अतिसंवेदनशील बताया गया है। नीरी, नागपुर द्वारा चुटका मध्यप्रदेश परमाणु परियोजना पर तैयार पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में इस तथ्य को छुपाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है अत: रिपोर्ट संदिग्ध है। वर्ष 1997 में नर्मदा किनारे के इस क्षेत्र में 6.4 रेक्टर स्केल का विनाशकारी भूकम्प आ चुका है ऐसी दशा में यहां परमाणु संयंत्र की स्थापना घातक है।

12) ऐसा बताया जा रहा है कि भूकम्प संवेदी क्षेत्र में 7 रेक्टर स्केल का झटका सहने की क्षमता युक्त ढांचा तैयार किया जावेगा। यदि ऐसा होता है तो भी संयंत्र को संचालित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर प्रणाली भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त होगी और संयंत्र को ठण्ड करने के लिए स्थापित प्रणाली फेल हो जावेगी जैसा कि फुकुशिमा (जापान) में देखा गया है। भूकम्प संवेदी क्षेत्र में प्रस्तावित चुटका परमाणु संयंत्र में भी भारी दुर्घटना अवश्यम्भावी है, ऐसी दशा में जबलपुर, सिवनी तथा मण्डला जिले की बहुत बड़ी आबादी परमाणु विकिरण का शिकार हो जावेगी और बाद में अनेक वर्षों तक पर्यावरण में इसका दुष्प्रभाव बना रहेगा।

13) 700ग2 मेगावाट के चुटका में प्रस्तावित परमाणु परियोजना के डिजाइन का संयंत्र भारत में कहीं भी नहीं बना है और यह केनेडा और अमेरिका द्वारा भारत में निर्मित बहुत छोटे से संयंत्र का बड़ा रूप है। चूंकि इतना बड़ा संयंत्र प्रायोगिक तौर पर पहली बार निर्मित हो रहा है, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। लोग इस खतरे को सहने के लिए तैयार नहीं है।

14) पूरे विश्व में अब परमाणु विद्युत परियोजनाएं बन्द की जा रही हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए विनाशकारी हैं। वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जब दुनिया कदम बढ़ा रही है तो भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र कायम करना हास्यास्पद है।

15) जिस समय चुटका परियोजना को योजना आयोग से मंजूरी मिली थी तब सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना महंगा होता था, आज स्थिति बदल गई है। अब सौर ऊर्जा परमाणु विद्युत से सस्ती पड़ती है। वर्तमान कीमतों पर वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु ऊर्जा घातक, महंगी, स्वावलम्बन विरोधी और पर्यावरण विनाशक होने के कारण अन्य ऊर्जा स्त्रोतों से नुकसानप्रद है।

जन–चेतना यात्रा कार्यक्रम पत्रक

दिनांक	समय	सभा का स्थान	सभा में शामिल होने वाले गांव
17/07/2014	12:00 दोपहर	मानेगांव, नारायणगंज – मण्डला	मानेगांव, बीजेगांव, सिमरिया टोला, सिंगोधा, देहरा
	08:00 रात्रि	खम्हरिया, नारायणगंज – मण्डला	खम्हरिया, झांझनगर, मोहगांव, पिपरिया, भरिया टोला, किकरा
18/07/2014	12:00 दोपहर	देवगांव, नारायणगंज – मण्डला	देवगांव, देवहार, सुरंगवाणी, अहिरवारा, बोरिया
	08:00 रात्रि	पदमी, नारायणगंज – मण्डला	भानपुर–सिकौसी, पदमी, मलारा, चीरी, कुम्हा
19/07/2014	12:00 दोपहर	सेलूआ, घंसौर – सिवनी	सेलूआ, गंगपुर, डुंगरिया, पथरिया, झुड़की, झिंझरई, ब्यौहारी, छापल
	08:00 रात्रि	पद्दीकोना घंसौर – सिवनी	पद्दीकोना, दमपुरी, खुरसीपार, नारायणटोला
20/07/2014	12:00 दोपहर	केदारपुर, घंसौर – सिवनी	केदारपुर, जामूनपानी, अंडिया, कुसमी, सदामपुर, चरगांव, बरेली, बखारी, फुलेहरा, गढ़ी, कुकरा, कुकरी
	08:00 रात्रि	छिन्दवाहा, घंसौर – सिवनी	छिन्दवाहा, पिपरिया, पीपाटोला, धरमूकोल, धुमामाल, किन्द्रई, पौंढ़ी

उक्त पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, आर्थिक एवं मानवीय दुष्प्रभावों के आधार पर चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना रद्द की जा सके

निवेदक : चुटका परमाणु संघर्ष समिति, ग्राम चुटका, पोस्ट पाठा, वि.ख. नारायणगंज, जिला मण्डला

सम्पर्क व्यक्ति एवं फोन नं. : नवरतन दुबे (96991375233); दादुलाल कुड़ापे (881752869);
मोले सिंह गुठरिया (9423684638); धनराज बरकड़े (8989681972, 8435189188);
पुरन सिंह मरावी (9425361485); मंगल सिंह सोयाम (9301072197); मुन्ना यादव (8223970203)